

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सोनी अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस

दिना संख्या - 16/19 प्रा०ण०

श्रीमती रतनी पुत्री भागु भुर्जर पत्नी श्री उदयराम भुर्जर निवासी-मुंडली
हंस मुकाम बांराडा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनान

श्रीमती. सूर्यी वंनारायण भुर्जर निवासी-गांडरीसोडा गांधीनगर भीलवाड़ा [कौरी]
(सुदामा 510ण० संक्रम)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 28.5.19

आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमरगढ़ पटवार हलका आमरगढ़ तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 842, 843, 844, 846, 847 कुल कित 0.5 रकबा 0.5 बीघा 1.0 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के नव्य आराजी नुतवायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सोना संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14-1-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काइत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आमरगढ़ पटवार हलका आमरगढ़ तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 842, 843, 844, 846, 847 कुल कित 0.5 रकबा 0.5 बीघा 1.0 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पी.शाह को 300-रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण नौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौल व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा शक्ति जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल